



छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित
ए-25, वी.आई.पी. एस्टेट, वी.आई.पी. क्लब के सामने, रायपुर - 492007

दूरभाष- 4065100 से 4065110

फैक्स - 2283594

ई-मेल : mfpfed.cg@nic.in

वेबसाइट : www.cgmpfed.org

अधिसूचना क्रमांक ते.प.(2017)-I

दिनांक 09.11.2016

छत्तीसगढ़ में वर्ष 2017 तेन्दूपत्ता सीजन में संग्रहित होने वाले
तेन्दूपत्ते के अग्रिम विक्रय हेतु

आनलाइन निविदा सूचना

प्राक्कथन

- छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, (जिससे इसके पश्चात् शासन कहा गया है), ने छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर, (जिससे इसके पश्चात् संघ कहा गया है), को राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में तेन्दूपत्ता के संग्रहण, क्रय एवं व्यापार हेतु, छत्तीसगढ़ तेन्दूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1964 की धारा 4 के अंतर्गत अभिकर्ता नियुक्त किया है।

- शासन के द्वारा वर्ष 2017 सीजन में संघ को अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य की प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्थाओं (जिसे इसके पश्चात् प्राथमिक समिति कहा गया है), जिनमें राज्य शासन एक अंशधारक है, के माध्यम से संबंधित प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों (जिसे इसके पश्चात् समिति कहा गया है), के क्षेत्रों में तेन्दूपत्तों का, जिला वनोपज सहकारी यूनियन (जिसे इसके पश्चात् जिला यूनियन कहा गया है), के पर्यवेक्षण में, संग्रहण कराने के निर्देश दिए गए हैं,

- शासन के आदेशानुसार, संग्राहकों द्वारा संग्रहण केन्द्र अर्थात् फड़ पर (अ) शासकीय वन भूमि से तथा (ब) निजी तेन्दूपत्ता उत्पादक क्षेत्र द्वारा लाए गए तेन्दूपत्ते के लिए, राज्य शासन द्वारा निर्धारित क्रमशः (अ) प्रति मानक बोरे की संग्रहण दर (मजदूरी) तथा (ब) प्रति मानक बोरे का क्रय मूल्य समिति के द्वारा देकर तेन्दूपत्ता संग्रहित किया जायेगा और इस तेन्दूपत्ते को हरी हालत में प्राथमिक वनोपज समिति के द्वारा तत्संबंधित समिति के लिये नियुक्त अधिकृत क्रेता को परिदान दिया जावेगा तथा क्रेता के द्वारा परिदत्त पत्ते का उपचारण, परिवहन एवं गोदामीकरण आदि उसके स्वयं के व्यय पर किया जावेगा।

अतएव अब संघ छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा उनकी ओर से उक्त संग्रहित होने वाले तेन्दूपत्ते के क्रय के लिए इच्छुक व्यक्तियों/पंजीकृत फर्मों / विधिक कंपनियों से आनलाइन निविदाएं आमंत्रित करता है। निविदा सूचना (परिशिष्ट I से XIII तक तथा अनुसूची क तथा ख सहित) संघ की वेबसाइट www.cgmpfed.org तथा आनलाइन निविदा के पोर्टल <https://cgmpfed.abcprocure.com> से निम्नानुसार तिथि से डाउनलोड किये जा सकते हैं :-

निविदा चक्र	जिस तिथि से निविदा सूचना डाउनलोड की जा सकती है	आनलाइन निविदा प्रस्तुत करने की प्रारम्भ तिथि	आनलाइन निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	आनलाइन निविदा खोलने की तिथि
प्रथम	ई-निविदा सूचना प्रारम्भ दिनांक से 3 दिन पूर्व से डाउनलोड की जा सकती है।	03.12.2016	08.12.2016	08.12.2016
द्वितीय		07.01.2017	12.01.2017	12.01.2017
तृतीय		30.01.2017	03.02.2017	03.02.2017

2. परिभाषायें, निविदा के निबंधन एवं शर्तें तथा निविदाकारों के लिए निर्देश -

परिशिष्ट-I (निबंधन एवं शर्तें)

इस सूचना, इसकी अनुसूची एवं इसके विभिन्न परिशिष्टों में प्रयोग में लाये गये विभिन्न शब्दों एवं अभिव्यक्तियों की परिभाषायें, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो परिशिष्ट- I में सम्मिलित "निविदा के निबंधन एवं शर्तें तथा निविदाकारों के लिए निर्देश", में दिए गए अनुसार होंगी। ये "निविदा के निबंधन एवं शर्तें तथा निविदाकारों के लिए निर्देश" इस निविदा सूचना के अभिन्न अंग हैं और यह समझा जावेगा कि इस सूचना में समस्त प्रयोजनों के लिये सम्मिलित हैं।

3. लाट लिस्ट एवं करार अवधि -

अनुसूची क तथा ख (तेंदूपत्ता की लाट सूची) व फड़ सूची

विभिन्न समितियों से संग्रहित/क्रय की जाने वाली मात्रा के एवं इस सूचना के साथ संलग्न अनुसूची क (लाट सूची) तथा अनुसूची ख (फड़ सूची) में दर्शित तेंदूपत्ते के लाटों के क्रय के लिये दिनांक 31.03.2018 को समाप्त होने वाली करार अवधि के लिये एतद् द्वारा निविदायें आमंत्रित की जाती हैं।

4. निविदा पत्र आदि -

परिशिष्ट-II फार्म 1,2 एवं 3 (निविदा पत्र) परिशिष्ट-III (निविदाकार करारनामा)

(I) निविदा पत्र (परिशिष्ट-II फार्म 1, 2 एवं 3) तथा निविदाकार का करारनामा (परिशिष्ट-III) मय परिशिष्टों के संघ की ऊपर दर्शित वेबसाइट अथवा ऑन लाइन पोर्टल <https://cgmpfed.abcprocure.com> से डाउनलोड किये जा सकते हैं।

(II) निविदाकार स्वयं यह सत्यापित एवं सुनिश्चित करेगा कि उसने निविदा पत्र के साथ निविदाकार का करारनामा प्रस्तुत कर दिया है क्योंकि निविदा के साथ सम्यक् रूप से निष्पादित निविदाकार का करारनामा संलग्न करना अनिवार्य है।

5. निविदाओं का प्रस्तुतिकरण -

(I) उन सभी निविदाकारों को, जिन्हें स्थाई निविदाकार क्रमांक (पी.टी.एन.) म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ या छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा आवंटित किया गया है एवं इस स्थाई निविदाकार क्रमांक की सूचना उनको क्रेता नियुक्ति आदेश/सत्यंकार राशि वापसी पत्र के द्वारा दी गई थी, आवंटित स्थाई निविदाकार क्रमांक निविदा पत्र (परिशिष्ट II) के फार्म नंबर 1 के क्रमांक 1 में अंकित करना होगा। जिन निविदाकारों को स्थाई निविदाकार क्रमांक (पी.टी.एन.) आवंटित नहीं हुआ है, उनको स्थाई निविदाकार क्रमांक हेतु आवंटित स्थान पर आवंटित नहीं (Not Alloted) अंकित करना होगा।

(II) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139A के अनुसार निविदाकार को स्थाई आयकर क्रमांक (PAN) निविदा पत्र में (निर्धारित स्थान पर) अंकित करना एवं PAN कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

परिशिष्ट-XII (निविदाकारों को आनलाइन) निविदा भरने हेतु अनुदेश (Time Schedule) परिशिष्ट-XIII

(III) निविदाकारों को आनलाइन निविदायें भरने हेतु विस्तृत अनुदेश (परिशिष्ट XII) तथा विस्तृत Manual ई-प्रोक्यूरमेन्ट पोर्टल <https://cgmpfed.abcprocure.com> में उपलब्ध होगा तथा आनलाइन निविदायें Time Schedule (परिशिष्ट XIII) में दर्शित दिनांक एवं समय के अनुसार प्रस्तुत की जावेंगी।

6. निविदाओं का खोला जाना

प्राप्त निविदायें Time Schedule (परिशिष्ट XIII) में अंकित दिनांक एवं समय के अनुसार खोली जावेंगी।

7. क्रेता करारनामा का निष्पादन -

परिशिष्ट-IX
(निविदाकारवार आबंटित
लाटों की सूची)
परिशिष्ट-X
(सफल निविदाकारों की सूची)
परिशिष्ट-XI
(असफल निविदाकारों की
सूची)

परिशिष्ट-IV
(क्रेता का करारनामा)

(I) निविदा में लिये गये निर्णय अनुसार सफल निविदाकारों को आवंटित लाटों की सूची संघ की वेबसाइट पर परिशिष्ट - IX में उपलब्ध रहेगी। सफल निविदाकारों की सूची एवं असफल निविदाकारों की सूची संघ की वेबसाइट www.cgmfpfed.org पर क्रमशः परिशिष्ट-X एवं परिशिष्ट-XI में उपलब्ध रहेगी। सफल निविदाकार का प्रस्ताव के स्वीकृत होने की सूचना ई-मेल द्वारा दी जावेगी और ऐसी स्वीकृति जारी होने की तिथि से सम्बंधित तेन्दूपत्ते के लाट के क्रय की संविदा निविदाकार और संघ के बीच अस्तित्व में आ गई मानी जावेगी एवं निविदाकार लाट का क्रेता माना जावेगा।

(II) सफल निविदाकार को, उसके प्रस्ताव की संघ द्वारा स्वीकृति जारी किये जाने के 30 दिन के अन्दर, प्रत्येक लाट के लिए परिशिष्ट (IV) (क्रेता का करारनामा) में दिये गये प्रपत्र में करारनामा मुख्य वन संरक्षक अथवा उनके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति के समक्ष निष्पादित करना होगा। निविदाकार के द्वारा 2000/- रुपये बतौर फीस जमा किये जाने पर इस अवधि में मुख्य वन संरक्षक के द्वारा 7 दिन की वृद्धि की जा सकेगी। इस प्रकार 30वां दिन/7वां दिन यदि सार्वजनिक अवकाश रहता है तो करारनामा निष्पादन आगामी कार्य दिवस में किया जा सकेगा। 30 दिन/7 दिन की अवधि की गणना संघ मुख्यालय / मुख्य वन संरक्षक कार्यालय से आदेश जारी होने की तिथि के आगामी दिन से की जावेगी।

(III) करारनामे के निष्पादन नहीं किये जाने की स्थिति में क्रेता की नियुक्ति मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक द्वारा निरस्त की जा सकेगी और ऐसे निरस्तीकरण पर सम्बंधित लाट के क्रय मूल्य के 8% की राशि सत्यंकार की राशि में से अधिहरण कर ली जायेगी और मुख्य वन संरक्षक द्वारा निविदाकार को ऐसी अवधि के लिये काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा जो 3 वर्ष तक हो सकती है। इसके अतिरिक्त यदि लाट/लाटों, जिनके लिये क्रेता की नियुक्ति निरस्त की गई है, के पश्चात्पूर्व निर्वातन पर संघ को हुई हानि, यदि कोई हो, क्रेता को वहन करनी होगी और यदि ऐसी हानि की रकम क्रेता के द्वारा, उसको इस संबंध में जारी की गई मांग सूचना के 15 दिन के अन्दर, जमा नहीं की जाती है तो ऐसी हानि की राशि उससे भू राजस्व के बकाया बतौर वसूली योग्य होगी, परन्तु यदि ऐसे पश्चात्पूर्व निर्वातन में क्रय मूल्य से अधिक राशि प्राप्त होती है तो क्रेता का इस अधिक राशि पर कोई अधिकार या दावा नहीं होगा, परन्तु यदि क्रेता चाहे तो क्रय मूल्य के 15% की राशि, सत्यंकार की राशि को सम्मिलित करते हुये, जमा कर वसूली एवं काली सूची में दर्ज होने सहित सभी पश्चात्पूर्व दायित्वों से मुक्त हो सकता है।

8. देय राशि का भुगतान-

(अ) क्रेता देय राशि का भुगतान, क्रेता करारनामा के प्रावधानानुसार, चार बराबर किश्तों में निम्नांकित तिथियों को अथवा उनके पूर्व करेगा:-

किश्त क्रमांक	तिथि
प्रथम	05.10.2017
द्वितीय	21.11.2017
तृतीय	05.01.2018
चतुर्थ	20.02.2018

(ब) सम्पूर्ण क्रय मूल्य के भुगतान पर रिबेट-

यदि क्रेता द्वारा प्रथम किश्त की देय दिनांक तक किसी लाट का सम्पूर्ण क्रय मूल्य समस्त देय करों सहित भुगतान किया जाता है तो क्रय मूल्य की राशि के 2% के बराबर राशि की छूट दी जावेगी। यदि क्रेता इस सुविधा का लाभ उठाना चाहता है, तो वह

सम्पूर्ण क्रय मूल्य की 98% राशि तथा सम्पूर्ण क्रय मूल्य (100%) पर समस्त देय करों की राशि का भुगतान करेगा। यदि अधिसूचित मात्रा से अधिक संग्रहण होता है तो यह छूट संग्रहित मात्रा के लिये प्राप्त होगी।

9. पत्तों का परिवहन/निकासी -

(I) किशत/किशतों के भुगतान के उपरांत पत्तों का परिवहन/निकासी परिशिष्ट-I एवं IV में दिये गये प्रावधानों के अनुसार होगा।

(II) यदि क्रेता बैंक गारंटी के विरुद्ध तेंदूपत्ते को मुक्त कराने की सुविधा का लाभ उठाना चाहता है, तब वह ऐसा क्रेता करारनामा की कंडिका-7 में दर्शाई प्रक्रिया के अनुसार कर सकेगा। बैंक गारंटी परिशिष्ट -V में दिये गये प्रपत्र में होगी।

10. परिशिष्ट -

परिशिष्ट-I से V तथा अनुसूची क तथा ख जिनका कि संदर्भ उपर दिया गया है तथा परिशिष्ट VI से XIII (परिशिष्ट II, III, V तथा IX से XIII केवल अंग्रेजी में उपलब्ध होंगे) जो कि संघ की अधिसूचना क्रमांक ते.प.(2017)-I दिनांक 09.11.2016 के साथ संलग्न है, समस्त प्रयोजनों के लिये इस निविदा सूचना के परिशिष्ट है उनको संदर्भ के लिये देखें।

11. निबंधनों एवं शर्तों का स्वीकार करना -

इस निविदा के संदर्भ में निविदा प्रस्तुत करने के कार्य को निविदा सूचना की शर्तों तथा परिशिष्ट- I में दिये गये निबंधनों एवं शर्तों की बिना शर्त अभिस्वीकृति समझा जावेगा।

12. क्रेता करारनामा निष्पादन न किये जाने अथवा करारनामा समाप्त होने की दशा में -

हानि की राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी -
संबंधित निविदा/नीलाम से समस्त करों सहित संभावित प्राप्तियां (+) पुनः निर्वर्तन तक गोदाम, पर्यवेक्षण इत्यादि का व्यय (-) पश्चातवर्ती निविदा/नीलाम से समस्त करों सहित प्राप्तियां।

13. हिन्दी रूपान्तरण प्राधिकृत पाठ -

इस सूचना का तथा इसकी अनुसूची एवं परिशिष्टों का हिन्दी रूपान्तरण सभी प्रयोजनों के लिये प्राधिकृत पाठ समझा जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा उनकी ओर से

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास)
सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर - 492007